

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-9) विभाग

प0क:- 2(35)राज-9/भू. रू./2018

जयपुर, दिनांक:- 11/11/18

समस्त जिला कलक्टरस,
राजस्थान।

परिपत्र

राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अन्तर्गत व्यावसायिक (पैट्रोल पम्प की स्थापना हेतु) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम, 2007 के नियम 2 के उप-नियम (1) (2) में परिभाषित खातेदार ही अपनी खातेदारी भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु उपयोग की अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है। लीजधारी उक्त प्रावधानों के दृष्टिगत लीज पर ली गई भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन नहीं करा सकता है।

भवदीय

(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिप निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग को राजस्व विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु।
2. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव